



Neutral Citation No. - 2026:AHC:178760

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आदेश से प्रथम अपील संख्या - 1115/2011

श्री ओंकार सिंह चौहान

.....अपीलकर्ता (गण)

बनाम

ओरियंटल इंश्योरेंस कं. लि. मेरठ एवं अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

अपीलकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता : रवि अग्रवाल

प्रतिवादी (गण) की ओर से अधिवक्ता : अजय कुमार सिंह, उदय शंकर मिश्रा

न्यायालय संख्या - 54

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार-X

1- अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री रवि अग्रवाल तथा प्रतिवादी-बीमा कंपनी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अजय कुमार सिंह को सुना गया।

2- क्षतिपूर्ति में वृद्धि की मांग करने वाले दावेदार की ओर से दाखिल यह अपील, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, मेरठ (जिसे आगे “न्यायाधिकरण” कहा गया है) द्वारा एम.ए.सी.पी. संख्या 628 सन् 2005 (श्री ओंकार सिंह चौहान बनाम मोहम्मद लुकमान एवं अन्य) में पारित दिनांक 3.10.2006 के निर्णय एवं अधिनिर्णय को चुनौती देती है, जिसके द्वारा दावेदार को रु. 1,25,750/- की धनराशि प्रदान की गई है।

वाद के तथ्य

3- संक्षेप में कहा जाए तो, अपीलार्थी-दावेदार ओंकार सिंह, अपने भाई जसवीर सिंह द्वारा चलाए जा रहे स्कूटर पर पीछे बैठकर यात्रा कर रहा था। दिनांक 24.05.2005 को, जब वे उक्त स्कूटर से यात्रा कर रहे थे, उसी समय ट्रक संख्या यू.पी.-15-8851 ने उसे टक्कर मार दिया। उक्त दुर्घटना में अपीलार्थी के दाहिने पैर में फ्रैक्चर सहित गंभीर चोटें आईं, जिसके परिणामस्वरूप स्थायी दिव्यांगता हुई।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4- अपीलार्थी ने दुर्घटना में उसे हुई चोटों और स्थायी दिव्यांगता के कारण क्षतिपूर्ति की मांग करते हुए दावा याचिका दाखिल की। यह अभिकथित किया गया कि दुर्घटना के समय वह कृषि कार्य करने के साथ-साथ एक जनरल स्टोर चलाकर रु. 5,000/- प्रतिमाह कमा रहा था।

5- विद्वान न्यायाधिकरण ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् पाया कि अपीलार्थी की आयु 45 से 50 वर्ष के बीच थी। इस संबंध में न्यायाधिकरण ने संज्ञान लिया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत विभिन्न दस्तावेजों में 45 से 54 वर्ष तक की विभिन्न आयु का उल्लेख किया गया था और इसलिए उसकी सही आयु निश्चितता के साथ स्थापित नहीं की जा सकी।

6- दिव्यांगता के संबंध में, अपीलार्थी ने 50% स्थायी दिव्यांगता दर्शाने वाले दिव्यांगता प्रमाण-पत्र पर भरोसा किया और उसके समर्थन में पी.डब्ल्यू.-2 डॉ. रविंद्र सिंह का परीक्षण कराया। तथापि, विद्वान न्यायाधिकरण ने संज्ञान लिया कि स्वयं डॉक्टर ने कहा था कि दिव्यांगता आंशिक थी और तदनुसार, आय अर्जन क्षमता की हानि निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ अपीलार्थी की दिव्यांगता 25% आकलित की।

7- जहां तक अपीलार्थी की आय का संबंध है, विद्वान न्यायाधिकरण ने पाया कि यद्यपि अपीलार्थी ने कृषि तथा जनरल स्टोर चलाने से रु. 5,000/- प्रतिमाह की आय का दावा किया था, तथापि उसकी कृषि आय स्थापित करने या यह दर्शाने के लिए कि वह वास्तव में जनरल स्टोर चला रहा था, कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था। उसकी आय के संबंध में किसी विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में, न्यायाधिकरण ने उसकी वार्षिक काल्पनिक आय रु. 15,000/- आकलित की।

8- 13 के गुणक को लागू करते हुए, न्यायाधिकरण ने भविष्य की आय की हानि रु. 1,95,000/- आकलित की और 25% दिव्यांगता को ध्यान में रखने के पश्चात् आय अर्जन क्षमता की हानि के मद में रु. 48,750/- प्रदान किए। न्यायाधिकरण ने चिकित्सा व्यय के मद में रु. 70,000/-, विशेष आहार के मद में रु. 1,000/- तथा पीड़ा एवं कष्ट के मद में रु. 1,000/- भी प्रदान किए। तदनुसार, विद्वान न्यायाधिकरण ने अपीलार्थी-दावेदार को कुल रु. 1,25,750/- की क्षतिपूर्ति प्रदान की।

अपीलार्थी-दावेदार की ओर से प्रस्तुतियां

9- अपीलार्थी-दावेदार के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विद्वान न्यायाधिकरण ने 50% स्थायी दिव्यांगता दर्शाने वाले दिव्यांगता प्रमाण-पत्र के बावजूद अपीलार्थी की स्थायी दिव्यांगता



50% के स्थान पर 25% आकलित करके त्रुटि की है। यह प्रस्तुत किया गया कि दिव्यांगता प्रमाण-पत्र पी.डब्ल्यू.-2 डॉ. रविंद्र सिंह, जो संबंधित डॉक्टर थे, का परीक्षण कराकर विधिवत् सिद्ध किया गया था और सक्षम डॉक्टर द्वारा प्रमाणित दिव्यांगता के प्रतिशत को अस्वीकार करने या कम करने के लिए विद्वान न्यायाधिकरण के पास कोई पर्याप्त कारण नहीं था। न्यायाधिकरण केवल इस कथन के आधार पर कि दिव्यांगता आंशिक थी, किसी चिकित्सकीय आधार के बिना दिव्यांगता को 50% से घटाकर 25% नहीं कर सकता था।

10- यह भी प्रस्तुत किया गया कि विद्वान न्यायाधिकरण ने अपीलार्थी के इस दावे पर अविश्वास करके त्रुटि की कि वह कृषि कार्य करने और जनरल स्टोर चलाने से रु. 5,000/- प्रतिमाह कमा रहा था, केवल इस आधार पर कि ऐसी आय के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि मोटर यान अधिनियम के अधीन क्षतिपूर्ति से संबंधित मामलों में, विशेष रूप से जहां दावेदार कृषि कार्य अथवा छोटे व्यवसाय में संलग्न हो, सामान्यतः दावेदार से अपनी सटीक मासिक आय स्थापित करने वाला दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के **आर. लोगेशकुमार बनाम पी. बालासुब्रमणियम, 2025 आई.एन.एस.सी. 1392** में दिए गए निर्णय के प्रस्तर 6 पर भरोसा किया गया है, यह तर्क प्रस्तुत करने के लिए कि केवल दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में दावेदार की आय को अस्वीकार नहीं किया जा सकता और उसकी आय का आकलन उसके व्यवसाय की प्रकृति तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए।

11- यह भी प्रस्तुत किया गया कि आय अर्जन क्षमता की हानि निर्धारित करते समय विद्वान न्यायाधिकरण ने अपीलार्थी की भविष्य की संभावनाओं पर विचार नहीं किया है। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, भले ही न्यायाधिकरण द्वारा आकलित आय को स्वीकार कर लिया जाए, तथापि अपीलार्थी को देय क्षतिपूर्ति की गणना करते समय भविष्य की संभावनाओं के मद में समुचित वृद्धि की जानी चाहिए थी।

12- इन आधारों पर, यह प्रस्तुत किया गया कि विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा प्रदान की गई क्षतिपूर्ति अपर्याप्त है और उसमें उचित रूप से वृद्धि की जानी चाहिए।

प्रतिवादी-बीमा कंपनी की ओर से प्रस्तुतियां

13- इसके विपरीत, प्रतिवादी-बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा प्रदान की गई क्षतिपूर्ति न्यायोचित, उचित और युक्तियुक्त है, जो अभिलेख

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पर उपलब्ध साक्ष्य पर आधारित है और इसमें इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

14- यह प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी यह स्थापित करने के लिए कोई विश्वसनीय दस्तावेजी अथवा अन्य ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा कि वह कृषि से अथवा जनरल स्टोर चलाने से रु. 5,000/- प्रतिमाह कमा रहा था। कथित दोनों स्रोतों में से किसी से भी आय सिद्ध न होने की स्थिति में, विद्वान न्यायाधिकरण ने उसकी वार्षिक आय रु. 15,000/- काल्पनिक आधार पर सही रूप से आकलित की है।

15- विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि विद्वान न्यायाधिकरण ने दिव्यांगता प्रमाण-पत्र में 50% दिव्यांगता उल्लिखित होने के बावजूद दिव्यांगता 25% सही रूप से आकलित किया है, क्योंकि पी.डब्ल्यू.-2 डॉ. रविंद्र सिंह ने स्वयं स्वीकार किया था कि दिव्यांगता आंशिक थी। अतः, न्यायाधिकरण आय अर्जन क्षमता की हानि का आकलन करने के लिए प्रासंगिक दिव्यांगता की सीमा निर्धारित करने में न्यायोचित था।

16- यह भी प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी अपनी कथित आय और व्यवसाय को भी स्थापित करने में विफल रहा। ऐसी परिस्थितियों में, न्यायाधिकरण के समक्ष उस सीमा को निर्धारित करने का कोई विश्वसनीय आधार नहीं था, जिस सीमा तक दिव्यांगता ने वास्तव में उसकी आय अर्जन क्षमता को प्रभावित किया अथवा जिसके परिणामस्वरूप कोई कार्यात्मक दिव्यांगता हुई। तथापि, न्यायाधिकरण ने उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए 25% दिव्यांगता को आय अर्जन क्षमता की हानि के रूप में मानकर पहले ही क्षतिपूर्ति प्रदान कर दी है। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, अतः प्रदान की गई क्षतिपूर्ति, बल्कि अधिक है और अपीलार्थी किसी और वृद्धि का अधिकारी नहीं है।

17- अतः यह प्रस्तुत किया गया कि विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा पारित अधिनिर्णय साक्ष्य के समुचित मूल्यांकन पर आधारित है और अपीलार्थी इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किए जाने योग्य किसी त्रुटि को प्रदर्शित करने में विफल रहा है। तदनुसार, अपील खारिज किए जाने योग्य है।

चर्चा एवं निष्कर्ष

18- मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया है।



19- जहां तक अपीलार्थी की आय का संबंध है, यह सत्य है कि प्रत्येक मामले में दावेदार से अपनी आय के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती, विशेष रूप से जहां यह अभिकथित किया गया हो कि आय कृषि, छोटे व्यवसाय अथवा स्वरोजगार से प्राप्त होती थी। उच्चतम न्यायालय ने **आर. लोगेशकुमार** (उपर्युक्त) में भी इस सिद्धांत के आधार पर विचार किया है कि मात्र दस्तावेजी साक्ष्य का अभाव अपने आप में आय के संबंध में किए गए दावे को अस्वीकार करने का आधार नहीं बनाया जा सकता और उस मामले के तथ्यों में एक युक्तियुक्त काल्पनिक आय स्वीकार की गई।

20- तथापि, उक्त सिद्धांत को इस रूप में नहीं समझा जा सकता कि दावेदार द्वारा अपनी आय के संबंध में किया गया कोई निराधार अभिकथन सुसमाचार के सत्य के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। दावेदार को अभी भी न्यायाधिकरण के समक्ष ऐसी सामग्री प्रस्तुत करना आवश्यक है, जिससे वह उसकी आय का युक्तियुक्त आकलन करने में सक्षम हो सके। दस्तावेजी साक्ष्य का अभाव समझ में आने योग्य हो सकता है; आय के स्रोत, प्रकृति और सीमा के संबंध में किसी भी विश्वसनीय साक्ष्य का अभाव पूर्णतः भिन्न विषय है।

21- वर्तमान मामले में, अपीलार्थी ने दावा किया कि वह कृषि से और जनरल स्टोर चलाने से रु. 5,000/- प्रतिमाह कमा रहा था। उसने न्यायाधिकरण के समक्ष कहा कि वह लगभग 13-14 बीघा कृषि भूमि का स्वामी था, किंतु ऐसी भूमि के स्वामित्व अथवा उसकी खेती किए जाने को स्थापित करने के लिए मूल राजस्व अभिलेख अथवा कोई अन्य सामग्री तक प्रस्तुत नहीं की। इसी प्रकार, यद्यपि जनरल स्टोर चलाने का दावा किया गया था, अपीलार्थी ने न तो दुकान का नाम बताया, न यह बताया कि वह कब स्थापित की गई थी, न यह कि वह उसके द्वारा व्यक्तिगत रूप से चलाई जा रही थी अथवा परिवार के सदस्यों की सहायता से, न ही व्यवसाय की प्रकृति अथवा सीमा, या उससे उत्पन्न होने वाली आय का विवरण दिया। महत्वपूर्ण रूप से, अपीलार्थी ने कृषि और जनरल स्टोर से अलग-अलग प्राप्त आय भी नहीं बताई; दोनों स्रोतों को एक साथ मिलाकर रु. 5,000/- की मासिक आय का दावा किया गया।

22- इन परिस्थितियों को मात्र इस सिद्धांत का आह्वान करके दरकिनार नहीं किया जा सकता कि आय का दस्तावेजी साक्ष्य अनिवार्य नहीं है। प्रश्न केवल यह नहीं है कि आय को प्रमाणित करने वाला कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया था या नहीं; प्रश्न यह है कि क्या आय के संबंध में किया गया अभिकथन न्यायालय को युक्तियुक्त आकलन करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त



तथ्यात्मक आधार रखता है। वर्तमान मामले में, आय के संबंध में दावा पूर्णतः असमर्थित है और इसलिए, विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा रु. 5,000/- प्रतिमाह की दावा की गई आय को स्वीकार करने से इनकार करने में कोई त्रुटि की गई, ऐसा नहीं कहा जा सकता।

23- मामले का एक अन्य पहलू भी है। मोटर यान अधिनियम न्यायोचित क्षतिपूर्ति प्रदान करने के सिद्धांत पर आधारित है और जहां वास्तविक आय स्थापित नहीं की जा सकती, वहां न्यायालयों ने काल्पनिक आय की संकल्पना विकसित की है। काल्पनिक आय का आकलन करने का मूल उद्देश्य ऐसी गणना के लिए एक युक्तियुक्त आधार प्रदान करना है, जहां दावेदार को हानि हुई है, किंतु उसकी वास्तविक आय संतोषजनक रूप से सिद्ध नहीं की जा सकती। अतः, काल्पनिक आय की संकल्पना का यह अर्थ नहीं है कि दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में दावेदार द्वारा अभिकथित आय स्वतः स्वीकार कर ली जाए; बल्कि, यह न्यायाधिकरण को उपलब्ध परिस्थितियों, व्यवसाय की प्रकृति और अन्य प्रासंगिक सामग्री के आधार पर एक युक्तियुक्त आय निर्धारित करने में सक्षम बनाती है। अतः, वर्तमान मामले के तथ्यों में काल्पनिक आय का सहारा लेने के लिए विद्वान न्यायाधिकरण में कोई दोष नहीं निकाला जा सकता।

दिव्यांगता और आय अर्जन क्षमता की हानि

24- दिव्यांगता के संबंध में किया गया तर्क भी स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है, यद्यपि उन कारणों से जो प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत किए गए कारणों से कुछ भिन्न हैं।

25- इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलार्थी ने पी.डब्ल्यू.-2 डॉ. रविंद्र सिंह, जिन्होंने प्रमाण-पत्र जारी किया था, का परीक्षण कराकर 50% दिव्यांगता दर्शाने वाले दिव्यांगता प्रमाण-पत्र को सिद्ध किया। तथापि, स्थायी दिव्यांगता से उत्पन्न क्षतिपूर्ति के दावे में, केवल शारीरिक दिव्यांगता के प्रतिशत का प्रमाण, भविष्य की आय अर्जन क्षमता की हानि के प्रश्न का निर्णायक नहीं होता।

26- शारीरिक दिव्यांगता और कार्यात्मक दिव्यांगता के बीच अंतर सुस्थापित है। **राज कुमार बनाम अजय कुमार, (2011) 1 एस.सी.सी. 343** में, उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संपूर्ण शरीर के संदर्भ में स्थायी दिव्यांगता के प्रतिशत को यांत्रिक रूप से आय अर्जन क्षमता की हानि के प्रतिशत के रूप में नहीं माना जा सकता। जिस बात पर विचार किया जाना है, वह घायल व्यक्ति की आय अर्जन क्षमता पर स्थायी दिव्यांगता का प्रभाव और वह सीमा है, जिस तक उसकी अर्जन करने की क्षमता वास्तव में प्रभावित हुई है। न्यायालय ने बार-बार इस बात पर बल दिया है कि



क्षतिपूर्ति की गणना के लिए प्रासंगिक कार्यात्मक दिव्यांगता का आकलन घायल व्यक्ति के कार्य अथवा व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए।

27- अतः, दिव्यांगता प्रमाण-पत्र का प्रमाणित होना और उसे जारी करने वाले डॉक्टर का परीक्षण, चिकित्सकीय दिव्यांगता को स्थापित करता है; यह अपने आप में आय अर्जन क्षमता की हानि की सीमा को स्थापित नहीं करता। ऐसी हानि का आकलन करने के लिए पहली आवश्यकता उस आय का निर्धारण करना है, जो घायल व्यक्ति अर्जित कर रहा था और उसके व्यवसाय अथवा आजीविका की प्रकृति का निर्धारण करना है। इसके बाद ही न्यायालय यह जांच कर सकता है कि सिद्ध की गई दिव्यांगता उसके उस व्यवसाय को जारी रखने अथवा अपनी आजीविका अर्जित करने की क्षमता को किस सीमा तक प्रभावित करती है।

28- वर्तमान प्रकरण में, अपीलार्थी के समक्ष कठिनाई मूलभूत है। कृषि और जनरल स्टोर से रु. 5,000/- प्रतिमाह की उसकी कथित आय स्थापित नहीं हुई है। उसके व्यवसाय तथा कथित व्यवसाय की प्रकृति और सीमा भी संतोषजनक रूप से सिद्ध नहीं हुई है। ऐसी परिस्थितियों में, न्यायाधिकरण के समक्ष ऐसा कोई विश्वसनीय तथ्यात्मक आधार नहीं था, जिसके आधार पर शारीरिक दिव्यांगता से भिन्न कार्यात्मक दिव्यांगता की सीमा निर्धारित की जा सकती।

29- केवल यह तथ्य कि डॉक्टर ने अपीलार्थी को 50% दिव्यांगता से पीड़ित बताया था, इसलिए 50% को आय अर्जन क्षमता की हानि मानकर स्वतः क्षतिपूर्ति प्रदान किए जाने का परिणाम नहीं हो सकता। साथ ही, विद्वान न्यायाधिकरण का यह अभिमत कि केवल इसलिए दिव्यांगता को घटाकर 25% कर दिया जाना चाहिए क्योंकि डॉक्टर ने इसे “आंशिक” बताया था, अपने आप में ऐसी कमी के लिए ठोस चिकित्सकीय आधार प्रदान नहीं कर सकता। प्रासंगिक प्रश्न यह नहीं है कि दिव्यांगता को आंशिक बताया गया है या नहीं, बल्कि यह है कि सिद्ध की गई दिव्यांगता का घायल व्यक्ति की आय अर्जन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ा है। उच्चतम न्यायालय ने स्थायी दिव्यांगता के लिए क्षतिपूर्ति का आकलन करते समय इस अंतर को बनाए रखने की आवश्यकता पर लगातार बल दिया है।

30- तथापि, वर्तमान प्रकरण में, अपीलार्थी ऐसा मूल तथ्यात्मक आधार स्थापित करने में विफल रहा है, जो इस प्रकार का अभ्यास किए जाने के लिए आवश्यक है, अर्थात् उसका वास्तविक व्यवसाय और आय तथा वह तरीका, जिससे स्थायी दिव्यांगता ने उसकी आय अर्जन क्षमता को



प्रभावित किया है। फलतः, अपीलार्थी केवल दिव्यांगता प्रमाण-पत्र में उल्लिखित प्रतिशत पर भरोसा करते हुए वृद्धि का दावा नहीं कर सकता।

31- आर. लोगेशकुमार (उपर्युक्त) में दिया गया निर्णय भी अपीलार्थी के प्रकरण को आगे नहीं बढ़ाता है। उसमें उच्चतम न्यायालय ने उस मामले के तथ्यों और साक्ष्य में क्षतिपूर्ति के आकलन पर विचार किया और आय निर्धारित करने के पश्चात् कार्यात्मक दिव्यांगता के कारण हुई आय की हानि का आकलन किया तथा भविष्य की संभावनाओं पर भी विचार किया। उक्त निर्णय को प्रत्येक मामले में आय अर्जन क्षमता की हानि निर्धारित करने के लिए आवश्यक तथ्यात्मक आधार स्थापित करने की आवश्यकता को समाप्त करने वाला नहीं पढ़ा जा सकता।

32- तदनुसार, अपीलार्थी का यह तर्क कि न्यायाधिकरण 50% दिव्यांगता को आय अर्जन क्षमता की हानि के प्रतिशत के रूप में स्वीकार करने के लिए बाध्य था, में कोई सार नहीं है। इसी प्रकार, दावा की गई आय के सिद्ध न होने की स्थिति में, अपीलार्थी रु. 5,000/- प्रतिमाह के आधार पर भविष्य की आय की हानि की गणना की मांग नहीं कर सकता।

भविष्य की संभावनाएं

33- अपीलार्थी ने यह भी तर्क दिया है कि भविष्य की संभावनाओं पर विचार नहीं किया गया है। उचित मामले में भविष्य की आय की हानि निर्धारित करते समय भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखे जाने का सिद्धांत अब संदेह में नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने स्वयं आर. लोगेशकुमार (उपर्युक्त) में कार्यात्मक दिव्यांगता के कारण हुई आय की हानि की पुनर्गणना करते समय भविष्य की संभावनाओं के मद में वृद्धि की है।

34- तथापि, भविष्य की संभावनाओं के मद में वृद्धि के लिए घायल व्यक्ति की आय और आय अर्जन क्षमता की हानि का विधि-सम्मत निर्धारण आवश्यक रूप से पूर्वापेक्षित है। जहां दावेदार अपने व्यवसाय, आय और अपनी आय अर्जन क्षमता को प्रभावित करने वाली कार्यात्मक क्षति की सीमा को स्थापित करने में विफल रहा है, वहां भविष्य की संभावनाओं की गणना पृथक रूप से अथवा क्षतिपूर्ति के स्वतंत्र मद के रूप में नहीं की जा सकती।

35- अतः, वर्तमान प्रकरण में, न्यायाधिकरण द्वारा भविष्य की संभावनाओं के मद में पृथक वृद्धि न किए जाने से, इस प्रकरण में उपस्थित तथ्यों के आधार पर, क्षतिपूर्ति में वृद्धि किए जाने का कोई आधार नहीं मिलता है।



36- उपर्युक्त कारणों से, अपीलार्थी यह स्थापित करने में विफल रहा है कि विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा प्रदान की गई क्षतिपूर्ति ऐसी किसी विधिक त्रुटि से ग्रस्त है, जो इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किए जाने को उचित ठहरा सके।

37- अपील खारिज किए जाने योग्य है और तदनुसार **खारिज** की जाती है। विद्वान न्यायाधिकरण के आक्षेपित आदेश को पुष्ट किया जाता है।

(न्यायमूर्ति अनिल कुमार-X)

24 अगस्त, 2026

एस.के.